न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर बस्ती।

वाद संख्या 96/2013–2014

अन्तर्गत धारा 143 जमींदारी विनाश अधिनियम बाबत ग्राम भरवलिया तप्पा डीही परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती।

श्रीमती मूल्यराजी देवी शिक्षा समिति– बनाम ———————————————सरकार
पाल भवन रामेश्वरपुरी,सचिव/प्रबंधक,
जगदम्बिका पाल।

निर्णय

श्रीमती मूल्यराजी देवी शिक्षा समिति, पाल भवन रामेश्वरपुरी, के सचिव/प्रबंधक जगदम्बिका पाल पुत्र सूर्य बक्स पाल निवासी रामेश्वरपुरी तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती द्वारा अपनी भूमिधरी आराजी गाटा संख्या 415/0.552 हे0 स्थित ग्राम भरवलिया को अकृषिक प्रयोजन हेतु भूमि घोषित किये जाने के लिए जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त भूमि पर कई कमरों का निर्माण कर भूमि का बतौर आबादी उपयोग किया जा रहा है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख में अकृषिक प्रयोजन की भूमि अंकित किया जाय। प्रार्थना पत्र पर तहसील से आख्या प्राप्त किया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली में संलग्न नायब तहसीलदार की आख्या दिनांक 30.10.2013 जो तहसीलदार बस्ती द्वारा दिनांक 04.12.2013 को संस्तुति सहित अग्रसारित कर प्रेषित किया गया है में उल्लेख किया गया है कि ग्राम भरवलिया तप्पा डीही परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती की खतौनी वर्ष 1418–1423 फसली के खाता संख्या: 117 के गाटा संख्या 415/0.552 हे0 पर श्रीमती मूल्यराजी देवी शिक्षा समिति, पाल भवन रामेश्वरपुरी, बस्ती द्वारा सचिव/प्रबंधक जगदम्बिका पाल का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। तहसील की आख्यानुसार उक्त गाटा संख्या 415/0.552 हे0 भूमि पर विद्यालय का भवन व फील्ड बनाकर उसका अकृषिक प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है। अतएव उक्त विवादित भूमि को अकृषिक प्रयोजन हेतु भूमि घोषित किया जाय।

वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुनने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसील की आख्या एवं अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न ग्राम भरवलिया की खतौनी सन् 1418–1423 फसली के खाता संख्या: 117 के गाटा संख्या 415/0.552 हे0 भूमि पर श्रीमती मूल्यराजी देवी शिक्षा समिति, पाल भवन रामेश्वरपुरी, बस्ती द्वारा सचिव/प्रबंधक जगदम्बिका पाल का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। पत्रावली में जमींदारी विनाश अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था नियमावली में निर्धारित पारूप पर आख्या एवं नजरी नक्शा संलग्न है। तहसील की आख्यानुसार विवादित भूमि गाटा संख्या 415/0.552 हे0 पर विद्यालय का भवन व फील्ड बनाकर उसका अकृषिक प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है तो वर्तमान में हो रहे उपयोग के अनुसार राजस्व अभिलेख में अकृषिक प्रयोजन हेतु भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः ग्राम भरवलिया तप्पा डीही परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती की खतौनी सन 1418–1423 फसली के खाता संख्या: 177 के गाटा संख्या 415/0.552 हे0 भूमि को अकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित करते हुए लगान रूपया 17.90 भू राजस्व से मुक्त किया जाता है। आदेश की प्रति उप निबंधक बस्ती को प्रेषित किया जाय। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अनुपालन आदेश एवं आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर किया जाय।

दिनांक: 12 अप्रैल,2014

(महेन्द्र सिंह)
उप जिलाधिकारी,
सदर–बस्ती।

प्रबन्धक/सचिव
सूर्य बक्श पाल स्मारक महाविद्यालय
बनकटी-बस्ती

दाखिला का दिनाक 03-8-2021
तैयारी की दिनांक 05-8-2021
05-8-2021
05-8-2021

सत्य प्रतिलिपि

ओंकार प्रसाद पाण्डेय
राजस्व अभिलेखापाल
कलक्ट्रेट-बस्ती

शब्द - 55
फीस - 12.50
शीट - 1

न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर, बस्ती/

वाद सं. 96 —— अन्तर्गत धारा 143 जमींदारी विनाश

अधिनियम ग्राम - भरवलिया, तप्पा

श्रीमती कुल्य रानी देवी/ डोही, परगना - महुलीपश्चिम तह

बनाम / व जिला - बस्ती/

सरकार/ ता० फै० 12-4-14

नोट - नकल आदेश दिनांक - 12-4-14 की

प्रतिलिपि - छायाप्रति/

13
05-4-2014

राजस्व अभिलेखागार
जिला - बस्ती
कलेक्ट्रेट - बस्ती

DJ.O

रा० - तीन
फीस - 7-००
शब्द - 312

न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर - बस्ती

वाद सं: 1928 — अन्तर्गत धारा 143 ज० वि० अ०
ग्राम अरवलिया तप्पा डीही परगाना
महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
श्रीमती सूर्यराजी देवी
शिक्षा समिति बनाम सरकार

निरस्त

ता० फै० 12-12-14

नकल आदेश दिनांक 12-12-14
की सत्यापित छायाप्रति

निरस्त

PTO

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर बस्ती

वाद संख्या 127 / 2013-2014

अन्तर्गत धारा 143 जमीदारी विनाश अधिनियम
बावत ग्राम भरवलिया तप्पा डीही परगना महुली
पश्चिम तहसील व जिला बस्ती

श्रीमती मूलराजी देवी शिक्षा समिति - बनाम .... सरकार
पाल भवन रामेश्वरपुरी सचिव / प्रबन्धक,
जगदम्बिका पाल।

निर्णय

श्रीमती मूलराजी देवी शिक्षा समिति पाल भवन रामेश्वरपुरी के सचिव / प्रबन्धक जगदम्बिका पाल पुत्र सूर्य बक्स पाल निवासी रामेश्वरपुरी तप्पा हवेली परगा बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती द्वारा अपनी भूमिधरी आराजी गाटा सं० 142/0.214, 260/0.094, 411/0.601 हे०, 410/1.334 का 1/7 भाग 0.1905 हे ० व गाटा संख्या 34/०.511 हे०, 89/1.886, 118/0.051, 159/0.450 हे० का ¼ भाग 0.7245, 116क/ 0.038, 206/0.036, 241/0.047, 272ख/0.045, 361क/0.046, 360/0.233, 354छ /0.042, 362ग/0.006, 363/0.0360, 427क/0.002, 428/0.0040 हे ० का स्थित ग्राम भरवलिया को आकृषक प्रयोजन हेतु भूमि घोषित किये जाने के लिये जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त भूमि पर कई कमरो का निमार्ण कर भूमि का बतौर आबादी उपयोग किया जा रहा है उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख में आकृषक प्रयोजन की भूमि अंकित किया जाय प्रार्थना पत्र पर तहसील से आख्या प्राप्त किया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत किया गया की पत्रावली में संलग्न नायब तहसीलदार की आख्या दिनांक 25.11.2014 जो तहसीलदार बस्ती द्वारा दिनांक 06.12.2014 को संस्तुति सहित अग्रसारित कर प्रेषित किया गया है में उल्लेख किया गया कि ग्राम भरवलिया तप्पा डीही परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती की खतौनी वर्ष 1418-1423 फसली के गाटा सं० 142/0.214, 260/0.094, 411/0.601 हे०, 410/1.334 का 1/7 भाग 0.1905 हे ० व गाटा संख्या 34/०.511 हे०, 89/1.886, 118/0.051, 159/0.450 हे० का ¼ भाग 0.7245, 116क/ 0.038, 206/0.036, 241/0.047, 272ख/0.045, 361क/0.046, 360/0.233, 354छ /0.042, 362ग/0.006, 363/0.0360, 427क/0.002, 428/0.0040 हे ० पर श्रीमती मूलराजी देवी शिक्षा समिति पाल भवन रामेश्वरपुरी के सचिव / प्रबन्धक जगदम्बिका पाल पुत्र सूर्य बक्स पाल निवासी रामेश्वरपुरी तप्पा हवेली परगा बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती का नाम संक्रमणीय भूमि घर के रूप में अंकित है तहसील के आख्यानुसार उक्त गाटा स० 142/0.214, 260/0.094, 411/0.601 हे० 410/1.334 का 1/7 भाग 0.1905 हे ० व गाटा संख्या 34/०.511 हे०, 89/1.886, 118/0.051, 159/0.450 हे० का ¼ भाग 0.7245, 116क/ 0.038,

TRUE COPY